# आडिट

## विषय सूची


| क0सं0 | विषय | शासनादेश संख्या / दिनांक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | विभागों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान माँगे जाने वाले वांछित सूचनाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना | सं0 58 / xxvii(26) / 2010 दिनांक 17 जून, 2010 | 487–488 |
| 2. | महालेखाकार की गम्भीर वित्तीय आपत्तियों पर तत्परता से कार्यवाही किया जाना | सं0 263 / xxvii (26) / 2010, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 | 489–490 |
| 3. | विभिन्न विभागों की पूँजीगत परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण | सं0 77 / रा0यो0आ0(तक0परी0) / 2011, दिनांक 19 जनवरी, 2011 | 491–492 |
| 4. | परियोजनाओं की तकनीकी जॉच / परीक्षण रिपोर्ट को आडिट आपत्ति के समतुल्य माना जाना | सं0 346 / xxvii(26) / 2011, दिनांक 02 फरवरी, 2011 | 493–494 |
| 5. | वन विकास निगम का आडिट महालेखाकार द्वारा किया जाना। | अ0शा0प0सं0 356 / xxvii(1) / 2011 दिनांक 03 जून, 2011 | 495–496 |

पत्र संख्याः– 58 /xxvii(26)/2010

प्रेषक,

**मुख्य सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

**वित्त आडिट प्रकोष्ठ** देहरादूनः दिनांकः– 17 जून, 2010

**विषयः– विभागों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान मांगे जाने वाले वांछित सूचनाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार द्वारा अर्द्ध0शा0पत्र संख्याः पी0 ए0 जी0/41/2010–11/19 दिनांकः 3 जून, 2010 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों में लेखापरीक्षा के दौरान मांगे जाने वाले अभिलेखों में लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कतिपय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, जिससे लेखापरीक्षा कार्य बाधित होता है और अप्रस्तुत अभिलेख अनिरीक्षित रह जाते है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने वाले अभिलेख प्रस्तुत करना तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देना सम्बन्धित इकाई के कार्यालध्यक्ष के लिये बाध्यकारी हैं। वांछित सूचनाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत न करना उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे प्रकरण लगातार प्रकाश में आ रहे है कि लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

हाल ही में माननीय सभापति लोक लेखा समिति उत्तराखण्ड द्वारा लोक लेखा समिति की बैठक में इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई हैं।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/निगमों/उपकमों को कड़े निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करें कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गयी समस्त सूचनाएं, अभिलेख एवं लेखापरीक्षा ज्ञापों पर समुचित उत्तर बिना किसी विलम्ब के आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिए जाएं। शासन ऐसा न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ विधिक कार्यवाही करने पर भी विचार कर सकता है जिन्होंने अभिलेख प्रस्तुत न कर अपने सरकारी कर्तव्य का निष्पादन नहीं किया हैं।

**भवदीय,**

**एन0एस0 नपलच्याल,**
**मुख्य सचिव।**

पत्र संख्या 58 /xxvii(26)/2010 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर सचिव, समिति (वित्त) अनुभाग, विधान सभा सचिवालय को माननीय सभापति महोदय, लोक लेखा समिति, के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), को उनके अर्द्ध0शा0पत्र संख्याः पी0 ए0 जी0/41/2010–11/19 दिनांकः 3 जून, 2010 के सन्दर्भ में।
3. समस्त विश्व विद्यालयों के कुलपति।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त स्थानीय निकाय।
6. समस्त निगमों के प्रबन्ध निदेशक।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान।
8. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष।
9. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।
10. समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 6 वित्त/97–1–7–2010–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या– 263 / xxvii (26) / 2010

प्रेषक,

**मुख्य सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

**वित्त आडिट प्रकोष्ठ** देहरादूनः दिनांकः 25 नवम्बर 2010

**विषयः महालेखाकार की गम्भीर वित्तीय आपत्तियों पर तत्परता से कार्यवाही किया जाना।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक माननीय लोक लेखा समिति की बैठक के दौरान मा0 समिति द्वारा इस बिन्दु पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि अधिकांश ऑडिट प्रस्तरों के सम्बन्ध में समिति को यह इंगित किया जाता है कि सम्बन्धित आपत्तियों में दोषी कार्मिकों के सेवा निवृति के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः मा0 समिति ने यह अपेक्षा की है एवं निर्देश दिये कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने पर तत्काल ही उस पर कार्यवाही की जाए एवं सम्बन्धित ऑडिट आपत्ति की पी0ए0सी0 प्रस्तर बनने तथा उस पर साक्ष्य निर्धारित होने का इन्तजार न किया जाए।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / निगमों / उपक्रमों को कड़े निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करें कि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने पर तत्काल ही उस पर कार्यवाही की जाए, ताकि दोषी कार्मिकों के विरूद्ध यथा समय कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

**पत्र संख्या– 263 / xxvii (26) / 2010 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अपर सचिव, समिति (वित्त) अनुभाग, विधान सभा सचिवालय को माननीय सभापति महोदय, लोक लेखा समिति, के संज्ञानार्थ
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. समस्त विश्व-विद्यालयों के कुलपति।
5. समस्त स्थानीय निकाय।
6. समस्त निगमों के प्रबन्ध निदेशक।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान।
8. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष।
9. समस्त वित्त अधिकारी / वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक : 77/रा०यो०आ०(तक०परी०)/2011

उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी, 2011

प्रिय महोदय,

नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की पूँजीगत परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में ₹ 5.00 करोड़ की लागत से अधिक की परियोजनायें एवं कुम्भ मेला–2010 के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों का तकनीकी परीक्षण वाह्य संस्थाओं के माध्यम से तथा ₹ 1.00 करोड़ से ₹ 5.00 करोड़ तक लागत की परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से कराया गया।

कतिपय मामलों में यह प्रकाश में आया है कि जांच एवं तकनीकी परीक्षण कार्यों में इन जाँच संस्थाओं/अभियंताओं को परियोजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तथा आवश्यक सहयोग भी प्रदान नहीं किया जाता है, जिससे जाँच/परीक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न किये जाने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव की जा रही है।

राज्य स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित किये जाने एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु शासन निरन्तर प्रयासरत् है। अतः तकनीकी परीक्षण एवं Audit आदि के सम्बन्ध में राज्य स्तर से प्राधिकृत संस्थाओं/अधिकारियों को विभागों/निगमों के स्तर पर अपेक्षित सहयोग प्रदान न किया जाना अत्यन्त खेद का विषय है।

कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों/निगमों को अपने स्तर से समुचित आदेश पारित करते हुए यह निर्देश स्पष्ट रूप से देने का कष्ट करें कि तकनीकी जांच एवं परीक्षण कार्य हेतु आवश्यक वांछित अभिलेख समय से उपलब्ध न कराने तथा कार्यों में सहयोग प्रदान न किये जाने पर, ऐसे मामलों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)

श्री (नाम से)
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

## List of Documents to be furnished in advance

Photo Copies of the following

1. Preliminary Estimate.
2. Detailed Estimate.
3. Technical Sanction.
4. Financial and administrative approval.
5. Contract Bond.
6. Detailed specifications.
7. Sanction of competent authority if the work is sub divided.
8. Comparative statement of tenders.
9. Schedule of Rates.
10. Sanctioned Drawing.
11. Investigation (As applicable)
    (i) Bearing Capacity.
    (ii) Discharge data.
    (iii) Water Balance Study.
12. Quality Control Test Reports.

## List of Documents to be furnished at the time of Inspection

Original records pertaining to,

1. Contract Bond.
2. Sanctioned Estimate.
3. Technical Sanction.
4. Rejected Tenders.
5. Sanction letter of Sub-division of work.
6. Measurement Books.
7. Check measurements statement.
8. Extract of Tender Notice published in News papers.
9. Negotiation letters (if any).
10. Level Books.
11. Cross section (Final superimposed on initial ones)
12. Topographical, Hydrological and Geological surveys (As applicable)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त आडिट प्रकोष्ठ
सं0–346/xxvii (26)/2011
देहरादूनः दिनांकः 02 फरवरी, 2011

## कार्यालय ज्ञाप

नियोजन विभाग के तत्वावधान में विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी जाँच/परीक्षण का कार्य कराया जा रहा है तथा प्राप्त तकनीकी परीक्षण रिपोर्टों को सम्बन्धित विभागों को भेजा जा रहा है। इन रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए उन पर अविलम्ब अनुपालन एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि परियोजनाओं की उक्त तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग में आडिट प्रस्तर के समतुल्य मानी जायेगी। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष, इस प्रकार के आडिट प्रस्तरों का समय-समय पर जारी वित्त विभाग के परिपत्रों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करेंगें। तकनीकी परीक्षण रिपोर्टों को गठित आडिट कमेटियों की बैठकों में विचारार्थ रखा जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–346/ xxvii(26)/2011तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकर, लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महालेखाकर, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें व सह स्टैट इन्टरनल आडिटर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

**Alok Kumar Jain,** I.A.S.
**Principal Secretary**

Government of Uttarakhand

**Government of Uttarakhand**
**Department of**
**Planning & Finance**

Ph. Off. 0135-2714474
Fax. 0135-2714811

**D.O. No.** 356 **/xxvii(1)/2011**
**Dehradun: Dated:** 03 **June, 2011**

**Dear,**

This refers to your D.O. No.Report/C-62/FDC/510 dated: 25 August, 2010 regarding entrustment of audit of Forest Development Corporation to the Accountant General (Audit) Uttarakhand.

In this context I am directed to inform you that Govt. of Uttarakhand has taken a decision to entrust audit of Forest Development Corporation to the Comptroller & Auditor General of India under section 19(3) or 20 (1) of CAG of India (Duties, Power & Conditions) Act. 1971.

You are kindly requested to take further necessary action in this regard.

**Yours sincerely,**

**Shri Ashwani Atri,**
**Principal Accountant General (Audit),**
**Uttarakhand, Dehradun.**

**No.** 356 **/xxvii(1)/2011 Dated:** 03 **June, 2011**

**Copy forwarded to the following for information and necessary action-**

1. Secretary, Forest, Govt. of Uttarakhand.
2. Managing Director, Uttarakhand Forest Development Corporation, Dehradun.
3. Director, Treasury & Finance Services, State Internal Auditor, Dehradun.

By Order,

**(Radha Raturi)**
Secretary, Finance